न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
....	19.01.2022	18.04.2022

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति पुष्पा हरवानी (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सोनिया उर्फ सुगना बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति माली निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादी)

<u>वाद पत्र अनतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि वादिनी के ग्राम कोटडादीपसिंह की शामलाती खाते में खाता संख्या 525 की खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1611 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1612 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 265 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 504 रकबा 2.70 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0, कुल 11 किता की 5.73 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम सुगनाबाई दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 संलग्न है।

यह कि वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम सुगनाबाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का वास्तविक नाम सोनिया है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम सोनिया है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड , बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादनी का नाम सोनिया है। वादनी का नाम ग्राल कोटड़ादीपसिंह की जमाबन्दी में सुगनाबाई होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान केडिट कार्ड लेने से वन्चित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त करा[illegible] है। इसलिए वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध [illegible] प्रति[illegible]ी से दिनांक 15.01.2022 को निवेदन करने पर उन्होने मना कर दिया जिस कारण [illegible] वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि:—

1— कि ग्राम कोटडादीपसिंह की शामलाती खाते में खाता संख्या 525 की खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1611 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1612 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 265 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 504 रकबा 2.70 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0, कुल 11 किता की 5.73 है0 भूमि में वादनी का नाम सुगनाबाई दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम सुगनाबाई के स्थान पर सोनिया दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादनी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है:—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडादीपसिंह सम्वत 2075—2078
2— ग्राम पंचायत कोटडादीपसिंह प्रमाण पत्र
3— आयकर कार्ड की छाया प्रति
4— बैंक पास बुक्स की छाया प्रति
5— आधार कार्ड की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई । प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादनी का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। प्रकरण में जवाब सहमति परक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर प्रकरण में साक्ष्य ली गयी। साक्ष्य में सहखातेदार जो वादनी के भाई है का शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया। वादीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड वादनी के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हे कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते तें खाता खाता संख्या 525 की खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1611 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1612 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 265 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 504 रकबा 2.70 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0, कुल 11 किता की 5.73 है0 भूमि में वादनी का नाम सुगनाबाई दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम सुगनाबाई के स्थान पर सोनिया दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादनी का नाम विवादित आराजी में सुगनाबाई के स्थान पर सोनिया दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को राजस्व लोक अदालत केम्प खैरूला में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1— सोनिया उर्फ सुगना बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति माली निवासी कोटड़ादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादनी)

बनाम

1— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अनतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

मिसल नं ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते तें खाता खाता संख्या 525 की खसरा नम्बर 1419 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1443 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 1611 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1612 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 236 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 265 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 266 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 267 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 504 रकबा 2.70 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.19 है0, कुल 11 किता की 5.73 है0 भूमि में वादनी का नाम सुगनाबाई दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादनी का नाम सुगनाबाई के स्थान पर सोनिया दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की घोषणा की जाती है। मुताबिक निर्णय–डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 18.04.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बवत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner